जरिये ई-मेल

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकः–कारा/भवन/2011–12/नवीन जेल दौसा/ 50735-849 दिनांक 2-1-2019

उपाधीक्षक,
जिला कारागृह,
दौसा ।

विषयः–नव निर्मित श्यालावास दौसा को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।
प्रसंगः–राज्य सरकार के पत्र क्रमाक प.9(5)गृह–12/कारा/2018 दिनांक 21.12.18 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा नव निर्मित श्यालावास दौसा को स्थाई जेल घोषित की जा चुकी है।जिसकी छाया प्रति संलग्न है ।

अतः नव निर्मित श्यालावास दौसा को नियमानुसार प्रारम्भ कर अनुपालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विक्रम सिंह)
उप महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जेल प्रारम्भ कराने के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें ।
2. समस्त मण्डलाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी केन्द्रीय,जिला, उप कारागह, राजस्थान ।
3. प्रभारी बंदी शाखा/सामान्य शाखा को प्रेषित कर लेख है कि बंदियो का स्थानान्तरण एवं दूरभाष लगवाने के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावें ।
4. अधीक्षक (संस्थापन शाखा) मुख्यलालय कारागार जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि तत्काल स्वीकृत स्टाफ अनुसार नव निर्मित श्यालावास दौसा पर स्टाफ के पदस्थापन व अन्य आदेश जारी करवाया जावे। संलग्न आदेश प्रति ।
5. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय कारागार, जयपुर ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु संलग्न आदेश प्रति ।

उप महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

नि.पा.
26-12-18

176

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक : प.9(5)गृह–12/कारा/2018 जयपुर,दिनांक 21 DEC 2018

आदेश

यत् यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम –9, सन् 1894) के नियम 3(1) के अन्तर्गत श्यालावास (दौसा) में नवनिर्मित जिला कारागृह का भवन जो श्यालावास तहसील दौसा के राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 290 रकबा 28.53 हैक्टर में से 23.83 हैक्टर खसरा नम्बर 293 रकबा 6.63 हैक्टर में से 6.23 हैक्टर खसरा नम्बर 304 रकबा 11.95 में से 11.50 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 41.56 हैक्टर भूमि जेल विभाग के नाम दर्ज है। जिसमे से 10 हैक्टर में आंशिक रूप से निर्मित है। इस भवन के पूर्व दिशा में जेल विभाग की खाली भूमि है। इस भवन के पश्चिम दिशा में ग्राम पंचायत अलुदा की बंजर भूमि है। उतर दिशा में सड़क एवं जेल विभाग की खाली भूमि है, तथा दक्षिण दिशा में जेल विभाग की खाली भूमि है। नृवनिर्मित सजायाप्ता बन्दी भवन का क्षेत्रफल एक लाख बासठ हजार (162000) वर्गफुट है। इस क्षेत्र को राज्य सरकार एतद् द्वारा स्थायी जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कैलाश चन्द)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा।
4. पुलिस अधीक्षक, दौसा।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
6. उप अधीक्षक, जिला कारागृह, दौसा।
7. रक्षित पत्रावली ।

(शंकर सिंह मनोहर)
सहायक शासन सचिव,